# न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
## (अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
## पंचायत रिवीजन संख्याः 32/2021
## दायर दिनांकः 12.10.2021
## निर्णय दिनांक 05.12.2025

**अनवान**

श्री पन्ना लाल पिता भेरा जी जाति भील आयु 46 वर्ष निवासी कराई, तहसील खमनोर जिला राजसमंद

**– निगराकारगण**

**बनाम**

1. श्री भज्जा पिता नन्दा जी जाति भील आयु 55 वर्ष निवासी कराई तहसील खमनोर जिला राजसमंद के बजाय
   1/1. श्रीमती प्यारी बाई पत्नि भज्जा पिता नन्दा जी जाति भील आयु 52 वर्ष निवासी कराई तहसील खमनोर जिला राजसमंद
2. ग्राम पंचायत मचीन्द पंचायत समिति खमनोर जिला राजमसंद
3. दिनेश पिता रमेश चन्द्र जी जाति ब्राम्हण आयु 30 वर्ष निवासी बडा भाणुजा तहसील खमनोर जिला राजसमंद

**– गैर निगराकार**

**ग्राम पंचायत मचीन्द पंचायत समिति खमनोर द्वारा विपक्षी सं 1 कों जारी पट्टा संख्या 71 दिनांक 15.03.2021 के विरूद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत्**

**उपस्थितः–**

1– श्री अशोक वैष्णव, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2– श्री संजय मांडोत अप्रार्थी संख्या 03
3– अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 1/1 व 02 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

## :: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी याचिका राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 अन्तर्गत धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत मचीन्द द्वारा जारी पट्टा संख्या 71 दिनांक 15.03.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने ग्राम पंचायत मचीन्द के राजस्व गाव कराई की आबःदी भूमि में अपने आधिपत्य कब्जे के भुखण्ड पर वर्ष 2008 में विपक्षी सं 01 के साथ मिलकर दो कमरों का निर्माण कराया गया। जिसका पडौस इस प्रकार है कि पूर्व में – आम रास्ता,

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पश्चिम में – प्याउ व सामुदायिक उप स्वा. केन्द्र, उत्तर में – उचित मूल्य की दुकान व दक्षिण में – आम रास्ता (नाथद्वारा से मचीन्द जाने वाली सडक है। उक्त कमरो की कुल लम्बाई 24 गुणित 11.5 है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 276 वर्ग फीट है इसमे प्रार्थी व विपक्षी सं 1 का बराबर हक हिस्सा व अधिकार है जिसमें दक्षिण वाला कमरा विपक्षी सं 1 व उत्तर दिशा का कमरा प्रार्थी का है जिसमें प्रार्थी स्वतन्त्र रूप स्वामित्व आधिपत्य से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। विपक्षी सं 1 नें मिथ्या तथ्यों के आधारों पर निजी कमरे व प्रार्थी के कमरे को अपना पैतृक बताते हुए आवासीय पट्टे हेतु विपक्षी सं 2 के समक्ष आवेदन किया जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं होने दी गई। प्रार्थी को दैनिक नवज्योति समाचार पत्र के दिनांक 02.01.2021 को प्रकाशित समाचार पत्र के पेज नम्बर 9 पर ग्राम पंचायत मचीन्द द्वारा पट्टो के सम्बन्ध में जारी आपत्ति आह्वान की विज्ञप्ति की जानकारी होते ही प्रार्थी नें उक्त विज्ञप्ति की क्रं.सं. 2 में वर्णित भज्जा पिता नंदा भील निवासी कराई के आवेदन पत्र में वर्णित पडौस उत्तर दुकान दक्षिण– आम रास्ता सडक पूर्व– आम रास्ता पश्चिम प्याउ व सामुदायिक स्वा. केन्द्र जिसमें प्रार्थी के कमरें का शामिल कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में प्रार्थी में दिनांक 07.01.2021 को आपत्ति प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत मचीन्द में प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने विपक्षी सं 2 के समक्ष प्रस्तुत अपनी आपत्ति में बताया कि विपक्षी सं0 1 द्वारा पट्टे के आवेदन में प्रार्थी व विपक्षी सं 1 के दोनो कमरों को शामिल करते हुए आवेदन किया है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हक व हिस्सा निहित है तथा प्रार्थी के हक व हिस्सें भाग के कमरे का पट्टा जारी करवाने का विपक्षी सं0 1 को कोई हक व अधिकारी ही नहीं है उसके बावजूद उसने मिथ्या तथ्यो के आधार पर उक्त विपक्षी सं0 1 ने आवेदन किया है जिस पर विपक्षी सं0 2 ने पट्टा जारी किया जो काबिल खारीज के है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर विपक्षी सं0 2 द्वारा सुनवाई का अवसर नही दिया गया तथा विपक्षी सं0 2 द्वारा उक्त आपत्ति का विधिक रूप में कोई निस्तारण भी नही किया गया और विपक्षी सं0 2 ने विपक्षी सं0 1 को दिनांक 15.03.2021 को उक्त कालम सं0 1 में वर्णित सम्पत्ति का एक आवासीय पट्टा जारी कर दिया गया। विपक्षी सं0 2 ने पंचायतीराज के नियमों के विपरित जाकर विपक्षी सं0 1 को नाजायज लाभ पहुंचानें के मकसद से प्रार्थी के ऐतराज के बावजूद मिसल सं0 71 से अपनी ग्राम सभा की कोरम दिनांक 11.01.2021 के संकल्प सं 05 द्वारा आबादी भूमि की आराजी सं0 1191 में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (क/ख) के तहत दिनांक 15.03.2021 को पट्टा जारी कर दिया गया। जो विपक्षी सं0 1 के हक अधिकारों के विपरित होकर प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है। विपक्षी सं0 2 ने विपक्षी सं0 1 को दिनाक 15.03.2021 को मिलिभगत कर अवैध व शून्य पट्टा जारी करने के बाद प्रार्थी को गुमराह करने व पट्टे की जानकारी छिपानें के मकसद से एक नोटिस दिनांक प्रार्थी को दिनांक 06.04.2021 कों जारी किया गया। उक्त नोटिस में प्रार्थी की आपत्ति व उक्त सम्पत्ति में प्रार्थी के अधिकार के साक्ष्य प्रस्तुत करनें के सम्बन्ध में जारी किया गया था। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी सं0 1 ने अपने प्रभाव से विपक्षी सं0 2 से मिलिभगत कर प्रार्थी को उसके विधिक अधिकारों से वंचित करने के आशय से अवैध कार्य किया। विपक्षी सं0 2 ने विपक्षी सं0 1 के नाम पर जारी पट्टे मे वर्णित पडौस के दक्षिण दिशा में आम रास्ता

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

का अंकन किया गया जो वास्तव में नाथद्वारा सें मचीन्द जाने वाली सडक है तथा उक्त सडक सें विपक्षी सं0 1 का कमरा मात्र सडक से मात्र 12 फीट की दुरी पर स्थित है जबकि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 161 द्वारा गांव की सडक से 50 फीट तक की भूमि को विक्रय करने के ग्राम पंचायत के अधिकारों का अपवर्जन करती है। विपक्षी सं0 1 ने अपने कमरे व प्रार्थी के कमरे को विपक्षी सं0 3 को रूपयो के लालच में दो वर्ष पूर्व विक्रय कर दिया था उसके बावजूद भी उसनें अपना स्वामित्व बताते हुए पट्टा जारी करवा दिया जिसका वह अधिकार ही नहीं था उसके विपक्षी सं0 1 आक्षेपित फर्जी पट्टे को आधार बना कर विपक्षी सं0 3 कों जो विक्रय हस्तान्तरण किया वह प्रथम दृष्टया ही अवैध व शून्य है। विपक्षी सं0 2 ने विपक्षी सं0 1 के नाम पर पैतृक मकान होने का हवाला देते हुए पट्टा जारी किया किसी भी पुश्तैनी मकान का एक सहभागीदार के पक्ष में बिना सहमति एवं बिना विभाजन के पट्टा जारी करने का अधिकार नही है पैतृक मकान के नाम पर मन मकसूद विधि विरुद्ध जो आपेक्षित पट्टा जारी किया वह अवैध होकर काबिल खारिज के है। विपक्षी सं0 1 के अलग से मकान स्थित है जो विपक्षी सं0 2 द्वारा दिनांक 01.01.2021 को जारी आपत्ति आह्वान के क्रं.सं. 3 पर अंकित है वह इस तरह के पट्टे की पात्रता का अधिकारी ही नही था तथाकथित पट्टा अवैध होकर विधितः शुन्य है। विपक्षी सं0 2 ने आपत्ति आ ह्वान के बाद प्रार्थी की आपत्ति की विधिवत सुनवाई नही कर, विपक्षी सं0 1 के नाम पर स्वामित्व निर्धारण किये बिना जो विपक्षी सं0 2 ने प्राकृतिक न्याय के विपरीत जाकर आदेश पारित कर पट्टा जारी करने में भूल की है इस प्रकार का आदेश कानूनन अवैध रहता है तथा अवैध आदेश से जारी पट्टा भी प्रारम्भ से ही शून्य रहता है। प्रार्थी के उपयोग उपभोग में विपक्षी सं0 3 द्वारा अवरोध उत्पन्न होने पर उक्त पट्टा जारी होने की जानकारी हुई विपक्षी सं0 3 अवैध एवं शून्य पट्टे के आधार पर अवैध विक्रय विलेख से प्रार्थी के कमरे को हथियाना चाहता है जिस कारण प्रार्थी के अधिकारों का हनन हो रहा है विपक्षीगणों ने प्रार्थी के विरूद्ध कई प्रकारों के मुकदमे बाजी भी शुरू कर दी है इस कारण उक्त पट्टा खारीज किया जाना अतिआवश्यक हो गया है अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी सं0 2 (ग्राम पंचायत मचीन्द) द्वारा विपक्षी सं0 1 के नाम पर दिनांक 15.03.2021 को मिसल नं. 71 से जारी पट्टा को निरस्त फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त अप्रार्थी संख्या 03 की ओर अधिवक्ता श्री संजय माण्डोत ने उपस्थिति दी। किन्तु वक्त बहस अनुपस्थित रहे लेकिन दिनांक 21.11.2025 को प्रार्थना पत्र बाबत उपस्थिति व फरिहस्त दस्तावेज पेश किये। अप्रार्थी संख्या 01/01 व 02 बावजूद सूचना के लगातार नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01/01 के विरूद्ध दिनांक 24.02.2025 तथा अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध दिनांक 10.10.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। तथा ग्राम पंचायत मचीन्द से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

विपक्षी संख्या 1 व 3 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का विवादग्रस्त सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है, न ही किसी प्रकार का आधिपत्य है। विपक्षी भज्जा ने नियमानुसार पट्टा आवेदन किया जिसकी सम्पूर्ण पारदर्शिता के साथ ग्राम पंचायत द्वारा प्रक्रिया अपना कर पट्टा जारी किया गया। प्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा लिखित रूप से अपना पक्ष रखने बाबत् सूचित किया परंतु विवादग्रस्त सम्पत्ति पर प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नहीं होने से एवं उसके पास सम्पत्ति सम्बंधित कोई दस्तावेज नहीं होने से पंचायत द्वारा निष्पक्ष जांच के उपरांत सम्पत्ति पर स्वामित्व एवं आधिपत्य विपक्षी संख्या 1 का होने से उक्त पट्टा सर्वसम्मति से जारी किया गया। विवादग्रस्त सम्पत्ति पर प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नहीं होने से विपक्षी को विधिवत् रूप से पट्टा जारी किया गया। विवादग्रस्त सम्पत्ति पर प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नहीं होने से विपक्षी को विधिवत् रूप से पट्टा जारी किया गया। भारत एवं राजस्थान सरकार द्वारा जनमानस को अपना आवासीय पट्टा प्राप्त हो इसलिये सम्पूर्ण रूप से एक अभियान के तहत पट्टे जारी किये गये ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मकान का पट्टा मिल सके, विपक्षी संख्या 1 ग्रामीण, बुजुर्ग, अनपढ व्यक्ति है। विपक्षी संख्या 1 के कोई संतान नहीं होने से प्रार्थी बिना हक व अधिकार के दादागिरी के बल पर सम्पत्ति हडपना चाहता है। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् जांच कर एवं मौका मुआयना कर पट्टा जारी किया गया। प्रार्थी उक्त विवादग्रस्त सम्पत्ति में किसी प्रकार से सहभागीदार नहीं है। प्रार्थी का उक्त सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार नहीं होने से उसको सुना जाना भी आवश्यक नहीं था। विपक्षी संख्या 1 भजा द्वारा विधिवत रूप से अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विवादग्रस्त सम्पत्ति को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से दिनांक 04.06.2021 को विपक्षी संख्या 3 को विक्रय कर भौतिक एवं वास्तविक रूप से विपक्षी संख्या 3 का कब्जा करा दिया है। विपक्षी संख्या 3 द्वारा उक्त विवादग्रस्त सम्पत्ति का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग उपभोग किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बंध में माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश महोदय, नाथद्वारा के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा का वाद विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसके मुकदमा नं. 98/2021 ई. दी. होकर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके मुकदमा नं. 68/2021 मु.दी. होकर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा मांगी गई अंतरिम निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया गया। विवादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में प्रार्थी द्वारा ही सिविल न्यायालय में कार्यवाही प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विपक्षी संख्या 1 व 3 को विशेष हर्जा–खर्चा दिलाते हुए खारिज फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने ग्राम पंचायत मचीन्द के राजस्व गाव कराई की आबादी भूमि में अपने आधिपत्य कब्जे के भुखण्ड पर वर्ष 2008 में विपक्षी सं 1 के साथ मिलकर दो कमरों

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

का निर्माण कराया गया। उक्त कमरो की कुल लम्बाई 24 गुणित 11.5 है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 276 वर्ग फीट है इसमे प्रार्थी व विपक्षी सं 1 का बराबर हक हिस्सा व अधिकार है जिसमें दक्षिण वाला कमरा विपक्षी सं 1 व उत्तर दिशा का कमरा प्रार्थी का है जिसमें प्रार्थी स्वतन्त्र रूप स्वामित्व आधिपत्य से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। विपक्षी सं 1 नें मिथ्या तथ्यों के आधारों पर निजी कमरे व प्रार्थी के कमरे को अपना पैतृक बताते हुए आवासीय पट्टे हेतु विपक्षी सं 2 के समक्ष आवेदन किया जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं होने दी गई। प्रार्थी को दैनिक नवज्योति समाचार पत्र के दिनांक 02.01.2021 को प्रकाशित समाचार पत्र के पेज नम्बर 9 पर ग्राम पंचायत मचीन्द द्वारा पट्टो के सम्बन्ध में जारी आपत्ति आह्वान की विज्ञप्ति की जानकारी होते ही प्रार्थी नें उक्त विज्ञप्ति की कं.सं. 2 में वर्णित भज्जा पिता नंदा भील निवासी कराई के आवेदन पत्र में वर्णित पडौस उत्तर दुकान दक्षिण– आम रास्ता सडक पूर्व– आम रास्ता पश्चिम प्याउ व सामुदायिक स्वा. केन्द्र जिसमें प्रार्थी के कमरें का शामिल कर दिया गया था इस सम्बन्ध में प्रार्थी में दिनांक 07.01.2021 को आपत्ति प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत मचीन्द में प्रस्तुत किया। प्रार्थी नें विपक्षी सं 2 के समक्ष प्रस्तुत अपनी आपत्ति में बताया कि विपक्षी सं0 1 द्वारा पट्टे के आवेदन में प्रार्थी व विपक्षी सं0 1 के दोनो कमरों को शामिल करते हुए आवेदन किया है। जिसमें प्रार्थी का 1/2 हक व हिस्सा निहित है तथा प्रार्थी के हक व हिस्सें भाग के कमरे का पट्टा जारी करवाने का विपक्षी सं0 1 को कोई हक व अधिकारी ही नहीं है उसके बावजूद उसने मिथ्या तथ्यो के आधार पर उक्त विपक्षी सं0 1 ने आवेदन किया है जिस पर विपक्षी सं0 2 ने पट्टा जारी किया जो काबिल खारीज के है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर विपक्षी सं0 2 द्वारा सुनवाई का अवसर नही दिया गया तथा विपक्षी सं0 2 द्वारा उक्त आपत्ति का विधिक रूप में कोई निस्तारण भी नही किया गया और विपक्षी सं0 2 ने विपक्षी सं0 1 को दिनांक 15.03.2021 को उक्त कालम सं0 1 में वर्णित सम्पत्ति का एक आवासीय पट्टा जारी कर दिया गया। विपक्षी सं0 2 ने पंचायतीराज के नियमों के विपरित जाकर विपक्षी सं0 1 को नाजायज लाभ पहुंचानें के मकसद से प्रार्थी के ऐजराज के बावजूद मिसल सं0 71 से अपनी ग्राम सभा की कोरम दिनांक 11.01.2021 के संकल्प सं0 05 द्वारा आबादी भूमि की आराजी सं0 1191 में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (क/ख) के तहत दिनांक 15.03.2021 को पट्टा जारी कर दिया गया जो विपक्षी सं0 1 के हक अधिकारों के विपरित होकर प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है। विपक्षी सं0 2 में विपक्षी सं0 1 को दिनाक 15.03.2021 को मिलिभगत कर अवैध व शून्य पट्टा जारी करने के बाद प्रार्थी को गुमराह करने व पट्टे की जानकारी छिपानें के मकसद से एक नोटिस दिनांक प्रार्थी को दिनांक 06.04.2021 कों जारी किया गया उक्त नोटिस में प्रार्थी की आपत्ति व उक्त सम्पत्ति में प्रार्थी के अधिकार के साक्ष्य प्रस्तुत करनें के सम्बन्ध में जारी किया गया था इससे स्पष्ट है कि विपक्षी सं0 1 ने अपने प्रभाव से विपक्षी सं0 2 से मिलिभगत कर प्रार्थी को उसके विधिक अधिकारों से वंचित करने के आशय से अवैध कार्य किया। विपक्षी सं0 2 ने विपक्षी सं0 1 के नाम पर जारी पट्टे मे वर्णित पडौस के दक्षिण दिशा में आम रास्ता का अंकन किया गया जो वास्तव में नाथद्वारा सें मचीन्द जाने वाली सडक है तथा उक्त सडक सें विपक्षी सं0 1 का कमरा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

मात्र सडक से मात्र 12 फीट की दुरी पर स्थित है जबकि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 161 द्वारा गांव की सडक से 50 फीट तक की भूमि को विक्रय करने के ग्राम पंचायत के अधिकारों का अपवर्जन करती है। विपक्षी सं0 1 ने अपने कमरे व प्रार्थी के कमरे को विपक्षी सं0 3 को रूपयो के लालच में दो वर्ष पूर्व विक्रय कर दिया था उसके बावजूद भी उसनें अपना स्वामित्व बताते हुए पट्टा जारी करवा दिया जिसका वह अधिकार ही नहीं था उसक विपक्षी सं0 1 आक्षेपित फर्जी पट्टे को आधार बना कर विपक्षी सं0 3 कों जो विक्रय हस्तान्तरण किया वह प्रथम दृष्टया ही अवैध व शून्य है। विपक्षी सं0 2 ने विपक्षी सं0 1 के नाम पर पैतृक मकान होने का हवाला देते हुए पट्टा जारी किया किसी भी पुश्तैनी मकान का एक सहभागीदार के पक्ष में बिना सहमति एवं बिना विभाजन के पट्टा जारी करने का अधिकार नही है पैतृक मकान के नाम पर मन मकसूद विधि विरुद्ध जो आपेक्षित पट्टा जारी किया वह अवैध होकर काबिल खारिज के है। विपक्षी सं0 1 के अलग से मकान स्थित है जो विपक्षी सं0 2 द्वारा दिनांक 01.01.2021 को जारी आपत्ति आह्वान के कं.सं. 3 पर अंकित है वह इस तरह के पट्टे की पात्रता का अधिकारी ही नही था तथाकथित पट्टा अवैध होकर विधितः शुन्य है। विपक्षी सं0 2 ने आपत्ति आह्वान के बाद प्रार्थी की आपत्ति की विधिवत सुनवाई नही कर, विपक्षी सं0 1 के नाम पर स्वामित्व निर्धारण किये बिना जो विपक्षी सं0 2 ने प्राकृतिक न्याय के विपरीत जाकर आदेश पारित कर पट्टा जारी करने में भूल की है इस प्रकार का आदेश कानूनन अवैध रहता है तथा अवैध आदेश से जारी पट्टा भी प्रारम्भ से ही शून्य रहता है। प्रार्थी के उपयोग उपभोग में विपक्षी सं0 3 द्वारा अवरोध उत्पन्न होने पर उक्त पट्टा जारी होने की जानकारी हुई विपक्षी सं0 3 अवैध एवं शून्य पट्टे के आधार पर अवैध विक्रय विलेख में प्रार्थी के कमरे को हथियाना चाहता है जिस कारण प्रार्थी के अधिकारों का हनन हो रहा है विपक्षी गणों ने प्रार्थी के विरूद्ध कई प्रकारों के मुकदमे बाजी भी शुरू कर दी है इस कारण उक्त पट्टा खारीज किया जाना अतिआवश्यक हो गया है अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी सं0 2 (ग्राम पंचायत मचीन्द) द्वारा विपक्षी स0 1 के नाम पर दिनांक 15.03.2021 को मिसल नं. 71 से जारी पट्टा को निरस्त फरमाया जावें।

मैंने अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत मचीन्द द्वारा विवादित भूखण्ड का पट्टा जारी करने के लिए आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस दिनांक 01.01.2021 को निकाला गया था तथा निगराकार श्री पन्ना लाल द्वारा इस नोटिस के जवाब में दिनांक 07.01.2021 को अपनी आपत्ती ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की तथा विवादित भूखण्ड में अपना आधा हिस्सा निहित होना बताया गया था। विवादित पट्टा दिनांक 15.03.2021 को जारी कर दिया गया और इस पट्टे को जारी करने के लिए जो कार्यालय टिप्पणी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संधारित की गई हैं। उसमें कही भी इस आपत्ती का अंकन नही किया गया हैं। जबकि कार्यावाही विवरण अनुसार दिनांक 11.01.2021 को पट्टा दिये जाने का निर्णय किया गया हैं तथा उसमें यह अंकित किया गया है कि कोई आपत्ती ही प्राप्त नही हुई हैं। जबकि प्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

द्वारा अपनी आपत्ती दिनांक 07.01.2021 को ही प्रस्तुत कर दी थी। यह पत्रावली से जाहिर होता हैं। साथ ही अधिनस्थ कार्यालय ग्राम पंचायत मचीन्द द्वारा पट्टा जारी किये जाने के पश्चात दिनांक 06.04.2021 को प्रार्थी को यह लिखकर दिया कि आपकी आपत्ती मानने योग्य नही है अतः आप कोई साक्ष्य रखते हो तो कार्यालय में प्रस्तुत कर दे। अर्थात ग्राम पंचायत मचीन्द द्वारा प्रार्थी की आपत्ती पर कोई विचार किये बिना तथा उस पर कोई निर्णय किये बिना ही विवादित पट्टा जारी कर दिया गया हैं। जो कि गैर कानूनी हैं। साथ ही तहसीलदार की रिपोर्ट में यह भी प्रकट हुआ है कि वादग्रस्त भूखण्ड बडाभाणुजा से मचीन्द होते हुए ग्राम तुला जिला उदयपुर को जोडने वाली मुख्य जिला सडक एम डी आर के मध्य बिन्दु से 25 फिट दुर हैं। इस संबंध में हमने इडिंयन रोड कोंग्रेस के नोर्म्स का भी अध्ययन किया। जो कि हमे बताता है कि किसी भी सडक के मध्य बिन्दु से 12.5 मीटर अर्थात लगभग 40 फिट की दुरी को छोडते हुए ही कोई भी पट्टा/निर्माण किया जा सकता हैं। अन्यथा नही किया जा सकता हैं। जो कि सडक सुरक्षा नियमो के अनुसार भी उचित नही होता हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत मचीन्द द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है वो विधिक प्रक्रिया की पालना नही किया गया हैं। आपत्ती का निस्तारण किये बिना ही पट्टा जारी कर दिया गया हैं। तथा पट्टा एम डी आर के मध्य बिन्दु से प्रतीबन्धीत दुरी 12.5 मीटर अर्थात लगभग 40 फिट से अन्दर जारी कर दिया गया हैं। जो कि गैर कानूनी हैं। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## :: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मचीन्द द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 71 दिनांक 15.03.2021 को निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत मचीन्द को निर्णय की प्रति मय ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली भिजवायी जावे।

**(अरूण कुमार हसीजा)**
**जिला कलक्टर**
**राजसमंद**

**निर्णय आज दिनांकः 05.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

**(अरूण कुमार हसीजा)**
**जिला कलक्टर**
**राजसमंद**